अध्याय-II

अंशदान निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन

2.1 जिला खनिज निधि के अंतर्गत प्राप्तियों का आकलन, मांग एवं संग्रह

2.1.1 निधि संग्रहण के लिए रूपरेखा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 और 19 में यह प्रावधान है कि जिले में खनन पट्टाधारकों से एकत्रित अंशदान निधि का रखरखाव न्यास की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार और व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित पट्टाधारकों से अंशदान निधि की समय पर वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए। अंशदान निधि के लेखा-पुस्तकों का संधारण प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य शासन और संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 2015 और दिसंबर 2015) के अनुसार, प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर (खनिज) के पास निहित थी। इसके अतिरिक्त, निर्देशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में दो अलग-अलग बैंक खाते खोलने का भी प्रावधान था, अर्थात्: (i) अंशदान भुगतान प्राप्त करने और प्रबंधन के लिए जिला अंशदान निधि खाता, (ii) व्यय करने के लिए जिला न्यास निधि खाता और, प्रत्येक पट्टा धारकों द्वारा अंशदान निधि खाते में जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करना।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 19 के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति को अंशदान निधि के लेखा-पुस्तकों का संधारण करना चाहिए। केवल बालोद जिले में न्यास द्वारा अंशदान निधि का रोकड़ बही संधारित किया जा रहा था और शेष 11 जिलों में, न्यासों ने रोकड़ बही/अन्य कोई लेखा-पुस्तक संधारित नहीं किया। इसी प्रकार, अंशदान निधि की निगरानी के लिए विस्तृत वर्गीकरण रजिस्टर केवल बस्तर, कोरबा और रायगढ़ के जिला खनिज अधिकारी द्वारा संधारित किया गया था और शेष नौ[1] जिलों में, जिला खनिज अधिकारी ने विस्तृत वर्गीकरण रजिस्टर संधारित नहीं किया। इन अभिलेखों के संधारित नहीं होने के कारण, गौण खनिजों पर पट्टेदारों द्वारा देय और भुगतान की गई रॉयल्टी के विरुद्ध प्राप्त होने वाली पट्टावार अंशदान निधि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य खनिजों के लिए पारगमन पास रॉयल्टी और जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान होने के बाद 'खनिज ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से जारी किए जा रहे थे। हालांकि, गौण खनिजों के लिए, जिला खनिज अधिकारी, पट्टेदारों द्वारा पारगमन पासबुक की लागत और परिवहन किए जाने वाले खनिजों पर देय रॉयल्टी के लिए भुगतान किए गए मूल चालान के साथ फॉर्म-2 में जमा किए गए आवेदन के आधार पर हस्तलिखित पारगमन पास जारी

[1] बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, कोंडागांव, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव एवं सुकमा

करते हैं। पट्टेदार द्वारा न्यास के निर्दिष्ट बैंक खाते में जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान करते हैं और बैंक रसीद की प्रति अलग से संबंधित जिला खनिज अधिकारी को जमा करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पारगमन पास जारी करते समय रॉयल्टी के साथ पट्टा धारकों द्वारा जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म-2 में कोई कॉलम नहीं था। चूंकि पट्टा धारकों को रॉयल्टी के साथ अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए फॉर्म-2 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारगमन पास जारी करने से पहले जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान किया गया था।

फॉर्म-2 में रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान के लिए कॉलम का न होना, पारगमन पास जारी होने से पहले, पट्टेदार द्वारा अंशदान का भुगतान न करने के जोखिम को बढ़ा देता है।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान यह बताया गया कि मुख्य खनिजों के लिए, प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए खनिजऑनलाइन पोर्टल वर्ष 2018-19 से उपयोग में है। गौण खनिज संपदाओं के लिए, विभाग जल्द ही खनिजऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू करेगा। यह भी बताया गया कि यद्यपि जिला खनिज अधिकारी पट्टेदार-वार रॉयल्टी प्राप्तियों का अभिलेख नहीं रखते हैं, उन्हें पहले ही निर्देश दिया जा चुका था कि पारगमन पास जारी करते समय प्रत्येक रॉयल्टी के साथ जिला खनिज संस्थान अंशदान का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और वे इसका अनुपालन कर रहे हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि फॉर्म-2 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

2.2 बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन

2.2.1 वार्षिक बजट और वार्षिक कार्य योजना तैयार न करना

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (2) और 15 (5) के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट के साथ-साथ प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं का समन्वय, समेकन और विकास करेगी। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट को शासी परिषद द्वारा अनुमोदित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि पिछली देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित नई योजनाओं का कुल योग किसी भी स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास निधि में अपेक्षित आवक के तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित किए गए 12 जिलों में, प्रबंधकारिणी समिति ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 द्वारा अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार नहीं किया और न्यास स्थापना के बाद से कुल ₹6,150.42 करोड़ की प्राप्तियों में से ₹4,870.19 करोड़ (79.18 प्रतिशत) का उपयोग बिना किसी बजटीय ढांचे के किया।

प्रबंधकारिणी समिति कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावित कार्यों और गतिविधियों की एक सूची शासी परिषद को प्रस्तुत करती है। अनुमोदन प्राप्त होने पर, प्रबंधकारिणी समिति प्रशासकीय

स्वीकृति जारी करती है। बजटीय ढांचे के बिना न्यासों द्वारा निधियों का उपयोग वित्तीय अनुशासन की कमी, व्यय को प्राथमिकता देने में असमर्थता, स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी और योजना की कमी का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार न होने के कारण, इन्हें जिला पंचायत और जिला प्रशासन को संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया, जैसा कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 25 के तहत आवश्यक है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, यह कहा गया था कि नए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार इस संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, न्यास के निधि को अनुमोदित वार्षिक बजट और स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों वाली वार्षिक कार्य योजना के आधार पर खर्च किया जाना चाहिए।

2.2.2 *अंशदान निधि का राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ में अनियमित अंतरण*

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने नवंबर 2019 में गठित राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ को कार्यालय के बुनियादी ढांचे/संस्थापना/वाहन/स्टेशनरी आदि पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के व्यय को पूरा करने के लिए जिलों के अंशदान निधि से 0.25 प्रतिशत राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2020)।

हालाँकि, भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी की उपधारा (3) के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया (12 जुलाई 2021) कि जिला खनिज संस्थान से राज्य के खजाने या राज्य स्तरीय निधि में किसी भी तरह से धन हस्तांतरित न किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार के जिला खनिज संस्थान निधि को राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ में अंतरित न किये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद न्यासों द्वारा जुलाई 2021 के बाद राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ में ₹1.68 करोड़ (बालोद: ₹0.42 करोड़; बिलासपुर: ₹0.03 करोड़ और कोरबा: ₹1.23 करोड़) अंतरित किए गए।
इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2024 तक राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ के खातों में ₹10.82 करोड़ की राशि शेष थी, जिसे न्यासों को वापस नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा कि (अगस्त 2025) भारत सरकार के 12 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार, राज्य शासन ने 1 अप्रैल 2022 को न्यासों को आगे कोई धनराशि हस्तांतरित न करने का निर्देश दिया था, जिसे राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने 25 सितंबर 2022 को अनुमोदित किया था। 1 अप्रैल 2022 के बाद जिलों से प्राप्त राशि 31 मार्च 2022 से पहले की अवधि से संबंधित थी।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान प्रकोष्ठ के पास शेष ₹10.82 करोड़ की राशि अभी तक न्यासों को वापस नहीं की गई है।

2.2.3 बैंकिंग व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश (नवंबर 2015) के अनुसार, 12 चयनित जिलों में न्यासों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में दो अलग-अलग बैंक खाते खोले गए थे, अर्थात्, (i) अंशदान प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए जिला अंशदान निधि खाता और (ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा प्रदान किए गए अंशदान हिस्से को प्राप्त करने और प्रबंधित करने के लिए जिला न्यास निधि खाता। इन खातों का संचालन अध्यक्ष (जिला कलेक्टर) और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य-सचिव (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15(8) के अनुसार, न्यास की प्रबंधकारिणी समिति निधि का निवेश सावधानीपूर्वक करेगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 22(9) के अनुसार, न्यास को सतत आजीविका प्रदान करने के लिए वार्षिक प्राप्तियों की एक उचित राशि बंदोबस्ती निधि के रूप में रखनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि चयनित 12 जिलों में, संबंधित जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा सतत आजीविका के लिए कोई अलग बंदोबस्ती निधि स्थापित और अनुरक्षित नहीं की गई है। अंशदान निधि और न्यास निधि के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण धनराशि बचत बैंक खातों में रखी गई थी। इसके अलावा, किसी भी जिला खनिज संस्थान न्यास ने बचत बैंक खातों के लिए उपलब्ध ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी जमा/मल्टी ऑप्शन जमा खाता सुविधा का विकल्प नहीं चुना, जो बैंक को ग्राहक के बचत बैंक खाते में एक निश्चित न्यूनतम शेष राशि से अधिक राशि को प्रचलित उच्च ब्याज दरों पर सावधि जमा में स्वचालित रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान और न्यास निधि दोनों के बैंक खातों में कम ब्याज दरें प्राप्त हुईं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना लिए गए पांच[2] जिलों के न्यासों ने 2023-24 के दौरान अपने अंशदान निधि खातों में औसतन न्यूनतम शेष ₹19.27 करोड़ (बेमेतरा) से लेकर ₹117.40 करोड़ (कोरबा) तक बनाए रखी है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि जिला खनिज संस्थान न्यास एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है, संबंधित खाते में जमा राशि पर ब्याज अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्राथमिकता न्यास द्वारा अनुमोदित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना है, जिसमें राशि का नियमित भुगतान किया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में, न्यास की राशि को केवल बचत खाते में रखना ही उचित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यासों ने वार्षिक बजट और कार्य योजना तैयार नहीं की थी जिससे वित्तीय वर्ष में अपेक्षित प्राप्तियों और व्यय का आकलन करके उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और यदि कोई अधिशेष निधि हो तो उसका निवेश किया जा सके। यद्यपि ब्याज अर्जित करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, फिर भी स्वीप/फ्लेक्सी जमा सुविधा बैंक द्वारा सभी

---

[2] बालोद: ₹ 20.52 करोड़, बेमेतरा: ₹ 19.27 करोड़, कोरबा: ₹ 117.40 करोड़, महासमुंद: ₹ 30.31 करोड़ एवं रायगढ़: ₹ 37.72 करोड़

बचत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सेवा है जिसका लाभ बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और लागत के उठाया जा सकता है।

न्यास को बचत बैंक खाते में ऑटो स्वीप/मल्टी आप्शन डिपॉजिट सुविधा का विकल्प चुनना चाहिए और हस्तांतरण और व्यय के बाद अधिशेष अंशदान और न्यास निधि का निवेश वित्तीय विवेक के लिए सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

2.2.4 खातों को अंतिम रूप देना और न्यासों की लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 25 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सूची में से शासी परिषद द्वारा नियुक्त योग्य लेखापरीक्षक द्वारा न्यास के खातों की कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए।

न्यास वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर शासी परिषद से अनुमोदन के तुरंत बाद अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन और अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिला पंचायत और राज्य शासन को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उनके प्रकाशन के लिए अग्रेषित करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि न्यासों के खातों के लेखापरीक्षा में उनकी स्थापना (2015-16) के बाद के शुरुआती वर्षों में देरी हुई थी, जिसे हाल के वर्षों में न्यासों द्वारा धीरे-धीरे सुव्यवस्थित किया गया है, जैसा कि **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: न्यासों के लेखाओं और लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने में विलंब

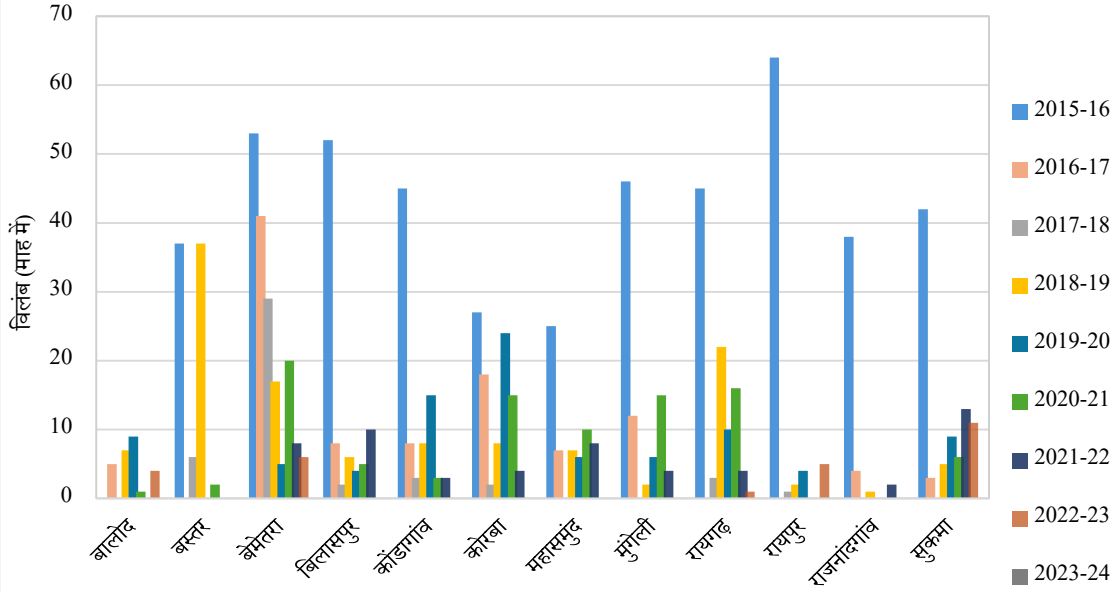

जून 2025 तक, पांच न्यासों (बस्तर, महासमुंद, मुंगेली, रायपुर और राजनांदगांव) के खातों की लेखापरीक्षा 2023-24 तक की गई थी, जबकि छह न्यासों (बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, कोंडागांव, रायगढ़ और सुकुमा) में, खातों की लेखापरीक्षा 2022-23 तक पूरी हो गई थी और एक न्यास (कोरबा) के खातों की लेखापरीक्षा 2021-22 तक किया गया था।

इसके अलावा, न्यासों ने कभी भी नियमों में निर्धारित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं की और अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जिला पंचायतों और राज्य शासन को उनकी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशन के लिए अग्रेषित करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, यह कहा गया था (अगस्त 2025) कि न्यासों के गठन के प्रारंभिक वर्षों में, देरी मुख्य रूप से न्यासों में पर्याप्त मानव संसाधन की कमी के कारण हुई थी।

न्यासों की वार्षिक प्रतिवेदन समय पर तैयार की जानी चाहिए और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए राज्य शासन को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.2.5 सामाजिक लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 (3) और 3 (अ) के अनुसार, शासी परिषद ग्राम सभा में न्यास निधि से निष्पादित विकासात्मक योजनाओं/कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगी। सामाजिक लेखापरीक्षा उन सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा की जाएगी जो राज्य शासन द्वारा मनरेगा और राज्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं/परियोजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पहचान से संबंधित होगा और दूसरा चरण किए गए प्रासंगिक कार्यों के कार्यान्वयन और गुणवत्ता से संबंधित होगा।

न्यासों के कलेक्टर-सह-अध्यक्ष द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में, कार्यान्वयन एजेंसियों को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों के तहत निर्धारित सामाजिक लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 चयनित जिलों में, न्यासों ने स्थापना (2015-16) के बाद से न्यास निधि से निष्पादित कार्यों और गतिविधियों का कभी भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया।

न्यासों ने स्वीकृति आदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को सामाजिक लेखापरीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन उनके कार्यों और गतिविधियों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने में विफल रहे। हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं करवाई और न्यास भी निधि की मंजूरी की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

चूंकि सामाजिक लेखापरीक्षाएं कार्यक्रम की प्रभावशीलता और परिणामों का आकलन करती हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती हैं और लाभार्थियों सहित हितधारकों को संसाधन उपयोग और उद्देश्य प्राप्ति के बारे में सूचित करती हैं, इसलिए न्यासों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षाएं

आयोजित करने में विफलता के कारण योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी, कमजोर जवाबदेही और निगरानी और मूल्यांकन में लाभार्थियों की सीमित भागीदारी हुई।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, सामाजिक लेखापरीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमति बनी।

2.2.6 न्यास निधि का विचलन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका निगम, बिलासपुर ने शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना 'बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के विकास' के लिए उन्हें आवंटित (03 अप्रैल 2017) ₹ 2.13 करोड़ के न्यास निधि को, निगम क्षेत्र में अन्य कार्यों जैसे सामुदायिक भवन, चबूतरा और शेड का निर्माण आदि के निष्पादन के लिए विचलित किया। बिलासपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के विकास का कार्य छत्तीसगढ़ शासन के शहरी प्रशासन और विकास विभाग द्वारा स्वीकृत (अप्रैल 2017) निधि से पूरा किया गया। हालाँकि, जिला खनिज संस्थान न्यास, बिलासपुर से प्राप्त निधि को वापस नहीं किया गया और न्यास भी धन के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, नगर पालिका निगम, बिलासपुर द्वारा प्रदान की गई जानकारी राज्य शासन द्वारा अग्रेषित की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2016-17 के दौरान, ₹ 2.13 करोड़ की राशि दो किश्तों में प्राप्त की गई थी और पूरी तरह से उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिला खनिज संस्थान न्यास से प्राप्त धन का उपयोग उस उद्देश्य पर नहीं किया गया था जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

2.2.7 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ब्याज की वापसी न करना

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 20 के अनुसार, न्यास निधि की जमा राशि पर अर्जित ब्याज न्यास निधि का हिस्सा होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधकारिणी समिति कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम रूप से धनराशि आवंटित करती है, जिसे वे अपने बैंक खातों में रखते हैं और कार्य प्रगति के अनुसार उपयोग करते हैं। हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों ने इन खातों में अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज को न्यास निधि खाते में स्थानांतरित नहीं किया है।

लेखापरीक्षा जांच के परिणामस्वरूप, बस्तर जिले की चार[3] और बिलासपुर जिले की एक[4] कार्यान्वयन एजेंसी ने न्यास निधि में ₹ 47.94 लाख की राशि जमा की, जबकि महासमुंद जिले में छह[5] कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अर्जित ₹ 15.64 लाख की राशि अभी तक (सितंबर 2025)

---

[3] जनपद पंचायत: बकावंड और लोहांडीगुडा; सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बस्तर एवं अनुभागीय अधिकारी , लाइट मशीनरी, ट्यूबवेल और गेट मंडल (एलएमटीडब्ल्यूडी), जगदलपुर

[4] बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

[5] जनपद पंचायत: महासमुंद, सरायपाली, पिथौरा एवं बसना; सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद एवं जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद

न्यास निधि खाते में जमा नहीं की गई थी। शेष 12 न्यासों की कार्यान्वयन एजेंसियां लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अपने बैंक खातों में अर्जित ब्याज का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं। इस प्रकार, न्यासों को सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से शेष ब्याज राशि एकत्र करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, न्यासों ने कार्यान्वयन एजेंसियों से अर्जित ब्याज एकत्र करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं।